झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद

स्थान :रिम्स चिकित्सक आवास परिसर बरियातु, राँचीटेली–0651.2972681

Web-www.jspc.in E-mail: jspcranchi@gmail.com

. जे.पी.सांगा
देशक प्रमुख
वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड
ह अध्यक्ष

. डॉ. विवेक कश्यप
ध्यापक, पी. एस. एम. विभाग
स, राँची सह
दस्य–सचिव एवं कार्यकारी
देशक

डॉ. बी. सी. अधिकारी,
–प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग
स, राँची सह
णिक समन्वयक

डॉ. डी. के. सिन्हा
–प्राध्यापक, सर्जरी विभाग
स, राँची सह
क्षा नियंत्रक

आई. डी. चौधरी
बंधक

सं0सं0– पारा.मेडि. / विविध–04 / 2015(खण्ड)......123

प्रेषक,

प्रो.डॉ. विवेक कश्यप
सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार
सचिव
इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
रूदिया, राँची

राँची, दिनांक: 02/07/2020

विषय:–इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी रूदिया, राँची मे संचालित पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीट वृद्धि करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके संस्थान द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी रूदिया, राँची झारखण्ड –816107 का गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 29.02.2020 को सीट वृद्धि हेतु आवेदित पाठ्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आपके संस्थान को झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली–2010 की कण्डिका–15 से 25 के आलोक में निम्न पाठ्यक्रमों का सीट वृद्धि की जाती है।

क्रम सं.	पारामेडिकल पाठ्यक्रम का नाम	पूर्व से मान्यता	सीटों की वृद्धि	कुल
i.	**Diploma in Medical Lab. Tech.**	30	20	50
ii.	**Certificate in Dresser**	40	15	55
iii.	**Diploma in O.T. Asst.**	30	-	30

शर्तें:–

1- झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची के द्वारा इस संस्थान की मान्यता जारी रखने हेतु प्रति वर्ष निरीक्षण किया जायेगा एवं संस्थान के अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं नामांकन क्षमता को बढ़ाया/घटाया जायेगा। निरीक्षण हेतु विहित शुल्क संस्थान द्वारा परिषद् को प्रतिवर्ष देय होगा।

2- आप उक्त पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची, विनियमावली 081 /झा.रा.पा.प.,राँची, दि.25.03.2014 के अनुसार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड, राँची को संसूचित करेंगे एवं तदनुरूप छात्र/छात्राओं का प्रवेश ले सकेंगे।